# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :53 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 67)**

| वादीगण बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|
| 1. गुरनाम कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01 गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर। | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:– 18.03.2025

**उपस्थित: 1.श्री कुलदीप सिंह अधिवक्ता वादिया**

**<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,</u>**

**—निर्णय—** दिनांक : 25.03.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96 / 96 के मुरब्बा नम्बर 36, 37 की कुल 11.031 हैक्टेयर भूमि में से 1.910 हैक्टेयर भूमि वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया को उक्त भूमि वादिया के पुत्र हरनेक सिंह पुत्र करतार सिंह से जरिये दानपत्र दिनांक 10.02.2025 से प्राप्त हुई है। दानपत्र 1.190 हैक्टेयर भूमि का किया गया था। उक्त दानपत्र की रूह से ही प्रार्थी के नाम नामान्तरण संख्या 868 दिनांक 24.02.2025 राजस्व पटवारी द्वारा दर्ज कर रकबा वादिया के नाम दर्ज किया गया था। किन्तु दिनांक 24.02.2025 को उक्त नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से त्रुटिवश 1.190 हैक्टेयर की जगह 1.910 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई। वादिया को कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की आवश्यकता हुई तो वादिया को राजस्व अभिलेख में उक्त त्रुटि और वादिया के नाम अधिक रकबा दर्ज होने का पता चला। जिसे वादिया दुरूस्त करवा पाने की अधिकारी है। आज से कुछ रोज पूर्व वादिया पटवारी हल्का से मिली और उक्त दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया, तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। जिसके पश्चात वादिया द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर को उक्त दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया, तो तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96 / 96 के मुरब्बा नम्बर 36, 37 की कुल 11.031 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाम 1.190 हैक्टेयर भूमि व शेष 0.720 हैक्टेयर भूमि वादिया के पुत्र हरनेक सिंह के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 608 दिनांक 25.03.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक वादिया गुरनाम कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख के हक में हरनेक सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख द्वारा चक 20 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96 में दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि में से 1.190 हैक्टेयर भूमि का दानपत्र दिनांक 10.02.2025 किया गया। लेकिन उक्त दानपत्र का इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से 1.190 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 1.910 हैक्टेयर भूमि गुरनाम कौर के नाम दर्ज हो गई, जबकि गुरनाम कौर के नाम 1.190 हैक्टेयर भूमि दर्ज होकर शेष 0.720 हैक्टेयर भूमि हरनेक सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम यथावत दर्ज रिकॉर्ड रहनी चाहिए थी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96/96 की प्रति, पंजीकृत दानपत्र बहक गुरनाम कौर दिनांक 10.02.2025 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 20 ओ के नामान्तरण संख्या 868 दिनांक 22.02.2025 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96/96 के मुरब्बा नम्बर 36, 37 की कुल 11.031 हैक्टेयर भूमि में अपने नाम से दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाम 1.190 हैक्टेयर भूमि व शेष 0.720 हैक्टेयर भूमि वादिया के पुत्र हरनेक सिंह के नाम दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक वादिया गुरनाम कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख के हक में हरनेक सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख द्वारा चक 20 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96 में दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि में से 1.190 हैक्टेयर भूमि का दानपत्र दिनांक 10.02.2025 किया गया। लेकिन उक्त दानपत्र का इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से 1.190 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 1.910 हैक्टेयर भूमि गुरनाम कौर के नाम दर्ज हो गई, जबकि गुरनाम कौर के नाम 1.190 हैक्टेयर भूमि दर्ज होकर शेष 0.720 हैक्टेयर भूमि हरनेक सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम यथावत दर्ज रिकॉर्ड रहनी चाहिए थी। अतः वादपत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**–:आदेशः–**

**4.** अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96/96 में क्रम संख्या 2 पर दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि में से वादिया गुरनाम कौर पत्नी करतार सिंह के नाम दानपत्र दिनांक 10.02.2025 की रूह से 1.190 हैक्टेयर भूमि व शेष 0.720 हैक्टेयर भूमि वादिया के पुत्र हरनेक सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर**

**ब इजलास श्री श्योराम** (आर.ए.एस.)

गुरनाम कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर **53/2025**

**निर्णय दिनांक :- 25.03.2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96/96 में क्रम संख्या 2 पर दर्ज 1.910 हैक्टेयर भूमि में से वादिया गुरनाम कौर पत्नी करतार सिंह के नाम दानपत्र दिनांक 10.02.2025 की रूह से 1.190 हैक्टेयर भूमि व शेष 0.720 हैक्टेयर भूमि वादिया के पुत्र हरनेक सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 25.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | 00 |
| **योग** | **04** | **00** | **योग** | **00** | **00** |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/185 दिनांकः 25.03.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर